Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer
06.11.2024	डिक्रीधारी की ओर से श्री शशिकांत पाण्डेय अधिवक्ता उपस्थित। मद्यून की ओर से श्री राजेश मिश्रा अधिवक्ता। प्रकरण न्यायशुल्क अदायगी हेतु नियत है। प्रकरण का अवलोकन किया गया डिक्रीधारी द्वारा यह प्रकरण आर्बीट्रेशन एण्ड रिकल्सीकेशन एक्ट 1996 के अंतर्गत पारित अधिनिर्णय के निष्पादन हेतु दिनांक 28.11.2019 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 28.11.2019 को यह निष्पादन प्रस्तुत करने के उपरांत आज दिनांक 06.11.2024 तक डिक्रीधारी द्वारा न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है। न्याय शुल्क अदायगी हेतु और कोई समय दिया जाना यह न्यायालय उचित नहीं पाती है। परिणामतः यह निष्पादन प्रकरण न्यायशुल्क के अभाव में इसी प्रक्रम पर निरस्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण विहित समय अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे। 6/11/2024 (राजकुमार यादव) नवम अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कटनी (म.प्र.)